भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4368
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

वर्ष 2024 में इंटरनेट शटडाउन

4368. डॉ. धर्मवीर गांधीः
डॉ. अमर सिंहः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा वर्ष 2024 में कुल कितने इंटरनेट शटडाउनों का आदेश दिया गया और प्रत्येक शटडाउन का राज्यवार ब्यौरा तथा इसकी अवधि कितनी थी;

(ख) इन शटडाउनों और विशेषकर उन मामलों में जहां इन्हें निवारक उपायों के रूप में लगाया गया था वहां इनकी अवधि में विस्तार, यदि कोई हो, के क्या कारण बताए गए;

(ग) क्या कोई शटडाउन परीक्षा की प्रमुख तिथियों, व्यावसायिक प्रचालनों अथवा आपातकालीन सेवाओं के दौरान हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परीक्षाओं में नकल की घटनाओं पर ऐसे शटडाउन के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इंटरनेट शटडाउन केवल अंतिम उपाय के रूप में और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में ही किया जाए?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा जारी किए गए इंटरनेट निलंबन आदेशों से संबंधित ब्यौरा दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दी गई अनुमतियां

गृह मंत्रालय की वेबसाइट: https://www.mha.gov.in/en/notifications/circular/archive-circular पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) नागरिकों के कल्याण के लिए इंटरनेट के योगदान और असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के बीच संतुलन होना चाहिए जिसके लिए दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के अनुसार अस्थायी इंटरनेट शटडाउन की आवश्यकता हो सकती है।

दूरसंचार विभाग ने उक्त परीक्षाओं में नकल की घटनाओं पर इस प्रकार के शटडाउन के प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया है।

(ङ) इंटरनेट शटडाउन को केवल अंतिम उपाय के रूप में ही लगाए जाने तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2020 को डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1031/2019 और डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1164/2019 में पारित अपने निर्णय में दिए गए निर्देशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को दिनांक 10.11.2020 को भेज दिए गए।

ii. दिनांक 22.11.2024 के सा.का.नि. 724 (असाधारण) द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 में ऐसे आवश्यक नियंत्रण और संतुलन शामिल हैं।

*****